

७ इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(22)

पत्रांक : 89 / प्र030—भवन / जोन-2 / 2012-13 दिनांक २०/०२/२०१३

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका रथानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के विकास के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री जफर मुईन खाँ पुत्र स्व० कर्यम खौं द्वारा मकान नं०- 105/110 गढ़ी लीडर रोड इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाता है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. रथल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी निवरण अंकित करना होगा।
4. रथल पर 02 अद्व वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
5. रथल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रतीकाना के अनुसार ही करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र निररक्त समझा जायेगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निररक्त समझा जायेगा।
7. पक्ष द्वारा विद्युत संयोजन राज्य विद्युत परिषद से अपने व्यय पर लेना होगा।
8. नगर आयुक्त, नगर नियम इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 16.02.2013 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा जो मुख्यतः निम्नवत् है :-

A- भवन के निर्माण के दौरान नगर नियम की किसी भी अवरथापना सुविधा जैसे-सड़क, पटरी, इत्यादि प्रभावित होगी तो उसका मरम्मत एवं निर्माण आवेदक द्वारा कराया जायेगा।

B- भवन के अन्दर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि अवरथापना सुविधा क्षतिग्रस्त न हो।

C- भवन का निर्माण By-Laws के अनुसार करना होगा।

9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निररक्त करने योग्य होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगावाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रॉल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. यदि भूखण्डों का उप-भेद इलेक्ट्रिसिटी का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0प्र0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

१५८
२००२०१३
१०३००४०५०
२०-२-२०१३

८
(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र030—भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

